10-24099/7/2023-वित्त अनुभाग-3-वित्त विभाग 22/2024/I/837704/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सहकारी समितियां एवं पंचायत,
लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः31-12-2024

विषयः- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां एवं पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-आडिट-2790/दस-2012-300(2)/12 दिनांक 16.11.2012 द्वारा वेतन समिति(2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-289/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 14.06.2012 के द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें संगठन में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग तथा उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के पदों के ढ़ाचें (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया) के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

2- उक्त शासनादेश के अन्तर्गत लेखा परीक्षा संवर्ग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 255 पद, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 1307 पद तथा लेखा परीक्षक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

436 पदों का निर्धारण किया गया है तथा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष जनपदवार चिन्हांकन विषयक शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2018/आडिट-1-609/दस-2018-322(18)/2013 दिनांक 04.06.2018 निर्गत किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में निदेशालय, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-125/अ-2/2024-25 दिनांक 03.06.2024 एवं पत्र संख्या-147/अ-2/2024-25 दिनांक 14.06.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी एंव पंचायत) लेखा परीक्षा नियमावली द्वितीय संशोधन में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग में निर्धारित पदों की कुल संख्या-1998 को अपरिवर्तित रखते हुये त्रिस्तरीय सोपानिक व्यवस्था के निम्नतम सोपान, मध्य सोपान तथा उच्चतम सोपान में पूर्व निर्धारित पदों की संख्या को न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर पिरामिडीय संरचना के अनुरूप सवंर्गीय संरचना स्थापित किया जाना प्रस्तावित करते हुए, मध्य सोपान के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के कुछ पदों का उच्चीकरण करते हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में एवं कुछ पदों का निम्नीकरण करते हुए लेखा परीक्षक के पदों में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

4- निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के सृजित 1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्व से सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से ही 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के पूर्व से सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लेखा परीक्षक के कुल 900 पद तथा शेष ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 693 पद निर्धारित करते हुए अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों का पुनर्गठन कर निम्नलिखित तालिकानुसार पिरामिडीय ढ़ांचे को सही किये जाने का एतदद्वारा निर्णय लिया गया है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान पदों की संख्या	कार्यस्थल		प्रस्तावित पदों की संख्या
1	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड पे-4800	255	826 विकास खण्ड में प्रत्येक 03 विकास खण्ड के सापेक्ष 01 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	275	405
			75 जिला पंचायत	75	
			निदेशालय	04	
			शीर्षस्थ संस्थाये	09	
			18 मण्डल कार्यालय	18	
			सहकारी चीनी मिल	24	
2	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड पे-4200	1307			693
3	लेखा परीक्षक ग्रेड पे-2800	436			900
संवर्ग के पदों की कुल संख्या		1998			1998

5- उपरोक्तानुसार 24 सहकारी चीनी मिलों हेतु 24 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है:-

(1) निदेशक द्वारा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरान्त तैनाती के समय ही प्रोन्नत कार्मिकों को सहकारी चीनी मिलों में प्राथमिकता पर तैनाती की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) सहकारी चीनी मिलों के ऑडिट के बैकलॉग को समाप्त करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी ऑडिट के दृष्टिगत सतत् (concurrent) ऑडिट भी प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) भविष्य में नयी भर्ती/पदोन्नति से लेखा परीक्षकों, ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की उपलब्धता होने पर सहकारी चीनी मिलों के ऑडिट के लिए समुचित मात्रा में लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सहकारिता एवं पंचायत संस्थानों के ऑडिट के साथ-साथ सहकारी चीनी मिलों का भी ऑडिट समयबद्ध रूप से सम्पन्न हो सके।

(4) पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, निरन्तर एवं त्रुटिहीन आडिट सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित "पार्टी आडिट" की अवधारणा का अनुपालन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथा-शीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
2- कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in